UPHR010013712026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P. 5728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–592/2026

सुजीत पुत्र मोहन लाल, निवासी ग्राम सिंहपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

---------- आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ---------- विपक्षी।

दिनांकः 11.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त सुजीत की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–317/2025, अन्तर्गत धारा–305(a), 331(4) बी०एन०एस०, थाना अतरौली, जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में विनीता देवी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है न ही विचाराधीन ही है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुशील कुमार की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि उसकी पत्नी किरन देवी अपने मायका गोनी में आगनबाड़ी कार्यकत्री है। वादी मुकदमा अपनी ससुराल गोनी में ही 15 वर्षों से परिवार के साथ रहता है। दिनांक 22.08.2025 की रात्रि के करीब 12.00 बजे वह अपने बच्चों और पत्नी सहित ऊपर के कमरे में सो गया। उसके बाद अज्ञात चोरी, पड़ोसी विसम्भर के घर की ओर से उसके घर में आकर नीचे के कमरे में रखे बक्से का ताला तोड़कर बक्से में रखा पत्नी का जेवर(गले का हार सोने का, माँगबेंदी सोने की, दो जोड़ी झुमकी सोने की, मंगलसूत्र सोने का, नथ सोने की, दो अंगूठी सोने की, दो चेन सोने की, एक जोड़ी पायजेब चाँदी की, दो जोड़ी पायल चाँदी की, कमर पेटी चाँदी की, दस जोड़ी बिछिया चाँदी की, बच्ची की एक जोड़ी पायल चाँदी) की और नगद बीस हजार रूपया मिलाकर करीब दस लाख की जेवर नगदी चोरी कर ले गये है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि वह निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसको गलत तरीके से फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.11 16:53:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करायी गयी है। घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। उसका नाम गलत तरीके से प्रकाश में लाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उसके पास से कोई चीज व वस्तु बरामद नहीं हुई है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7. जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे सहित अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रकरण में नामजद नहीं है। उसके विरूद्ध अभियोग है कि उसने सह अभियुक्त के साथ मिलकर घटना के दिनांक व समय पर वादी मुकदमा के घर से गले का हार सोने का, माँगबेंदी सोने की, दो जोड़ी झुमकी सोने की, मंगलसूत्र सोने का, नथ सोने की, दो अंगूठी सोने की, दो चेन सोने की, एक जोड़ी पायजेब चाँदी की, दो जोड़ी पायल चाँदी की, कमर पेटी चाँदी की, दस जोड़ी बिछिया चाँदी की, बच्ची की एक जोड़ी पायल चाँदी की और नगद बीस हजार रूपया मिलाकर करीब दस लाख रूपये की जेवर नगदी की चोरी की गयी। गिरफ्तारी के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम अपराध कारित करने में प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 20.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में दिनांक 19.12.2025 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

8. मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सुजीत** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

2. आवेदक/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।
5. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांकः 11–03–2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।